

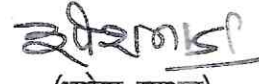
राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (एन-282) अलेसे-I/ 1680-89

दिनांक:- 01-01-24

आदेश

श्री नेमी चन्द, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। (लिनंक नं0 3029), कार्यालय सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार), सीकर ने स्वयं के नाम परिवर्तन के लिए राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम-8 के निर्णय संख्या 5 की पालना पूर्ण कर ली है। अतः श्री नेमी चन्द, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। (लिनंक नं0 3029), कार्यालय सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार), सीकर का नाम परिवर्तित कर, "नेमी चन्द" के स्थान पर "नेमी चन्द भामू" करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।



(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन
सचिव

क्रमांक:- एफ.2 (क) (एन-282) अलेसे-I/ 1680-89

दिनांक:- 01-01-24

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार), सीकर।
2. श्री नेमी चन्द भामू, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-।, कार्यालय सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार), सीकर।
3. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
5. पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/एसीआर शाखा/डीपीसी शाखा/निजी पत्रावली /गार्ड फाइल।



(राजेन्द्र प्रसाद रैगर)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)